



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 15 जनवरी, 2025 / 25 पौष, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st December, 2024

No. HHC/GAZ/14-267/2003-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 16-12-2024 to 20-12-2024 with permission to prefix Sunday

falling on 15-12-2024 in favour of Sh. Partap Singh Thakur, Additional District & Sessions Judge, CBI Court, Shimla. H.P.

Certified that Sh. Partap Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave. after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Partap Singh Thakur would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th December, 2024

No. HHC/GAZ/14-408/2020.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 09 days earned leave *w.e.f.* 16-12-2024 to 24-12-2024 with permission to prefix Sunday falling on 15-12-2024 and suffix Gazetted holiday falling on 25-12-2024 in favour of Ms. Ritu Sinha, Civil Judge-*cum*-JMFC, Rajgarh, H.P.

Certified that Ms. Ritu Sinha is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Ritu Sinha would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Rajgarh H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th December, 2024

No. HHC/GAZ/14-410/2020.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 12 days earned leave *w.e.f.* 20-12-2024 to 31-12-2024 in favour of Ms. Priyanka Devi, Civil Judge-*cum*-JMFC, Paonta Sahib. H.P.

Certified that Ms. Priyanka Devi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Priyanka Devi would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC. Paonta Sahib, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st December, 2024

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (II), Solan as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Additional District and Sessions Judge (I), Solan and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Sh. Pankaj, Additional District and Sessions Judge (I), Solan *w.e.f.* 16-12-2024 to 21-12-2024 with permission to affix Sundays falling on 15-12-2024 & 22-12-2024 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st December, 2024

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (I), Shimla as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla & Additional District and Sessions Judge (II), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary. T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts during the earned leave period of Sh. Partap Singh Thakur, Additional District and Sessions Judge, CBI Court,

Shimla *w.e.f.* 16-12-2024 to 20-12-2024 with permission to prefix Sunday falling on 15-12-2024 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 31st December, 2024

No. HHC/GAZ/14-395/2019.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave *w.e.f.* 16-12-2024 to 28-12-2024 with permission to affix Sundays falling on 15-12-2024 & 29-12-2024 in favour of Sh. Manu Prinja, Civil Judge-*cum*-JMFC, Barsar. 2024.

Certified that Sh. Manu Prinja is likely to join the same post and at the above station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Manu Prinja would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Barsar. H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 1st January, 2025

No. HHC/GAZ/14-427/2024.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 26-12-2024 to 31-12-2024 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 25-12-2024 in favour of Sh. Vikash Thakur, Civil Judge-*cum*-JM (III). Mandi, H.P.

Certified that Sh. Vikash Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vikash Thakur would have NO. HEB continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JM (III). Mandi. H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 12 ना० तह० वाचक उप तह० तेलका/2024-904

दिनांक : 31-12-2024

श्रीमती बीना पुत्री शाह मोहम्मद, गांव दियोल, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती बीना पुत्री शाह मोहम्मद, गांव दियोल, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड व पहचान पत्र में मेरा नाम बीना दर्ज है। जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल डंडी, पटवार वृत्त सेरी, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम परवीन बेगम दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम परवीन बेगम के बजाए परवीन बेगम उर्फ बीना करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सेरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-12-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 22 ना० तह० वाचक उप तह० तेलका/2024-906

दिनांक : 31-12-2024

श्रीमती गुड्डो पत्नी शक्ति प्रसाद, गांव कोथी, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती गुड्डो पत्नी शक्ति प्रसाद, गांव कोथी, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड में मेरा नाम गुड्डो दर्ज है। जोकि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सालवा व मौड़ा, पटवार वृत्त सालवा, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम किलो दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम किलो के बजाए किलो उर्फ गुड्डो करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त सालवा को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-12-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री आयूब मोहम्मद, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 25 ना० तह० /वाचक/उप तह०/तेलका/2014-905

दिनांक 31-12-2024

रतन चन्द पुत्र ज्ञानू, गांव कोटा, डा० अन्द्राल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-22999, दिनांक 13-12-2024, शपथ पत्र, जन्म रिपोर्ट, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, परिवार नकल जिसमें आवेदक श्री रतन चन्द पुत्र ज्ञानू, गांव कोटा, डा० अन्द्राल, ग्राम पंचायत सेरी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री रतन चन्द का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 13-12-2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रतन चन्द पुत्र ज्ञानू, गांव कोटा, डा० अन्द्राल, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 30-11-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी

प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक श्री रतन चन्द पुत्र ज्ञानू, गांव कोटा, डा0 अन्द्राल की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सेरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : PAR/17/2019

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

आगामी तारीख पेशी : 21-01-2025

चमारू

बनाम

चन्द आदि।

विषय.—नोटिस जेर दफा 21 व 23 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रतिवादीगण व आम जनता।

प्रतिवादीगण क्र0 संख्या 1. चन्द पुत्र घेपा, गांव असमाला, 2. श्रीमती नारों पत्नी हरदयाल, गांव असमाला, 3. अनिल कुमार पुत्र मुन्शी, गांव असमाला, 4. कुमारी काजल पुत्री मुन्शी, गांव असमाला, 5. श्रीमती निर्मला पुत्री मुन्शी, गांव असमाला, 6. श्रीमती बिमला देवी विधवा मुन्शी, गांव असमाला, 7. ज्ञाना पुत्र धोबा, गांव असमाला, 8. प्रहलाद पुत्र धोबा, गांव असमाला, 9. अमरू पुत्र धोबा, गांव असमाला, 10. गयासो पुत्र धोबा, गांव असमाला, 11. श्रीमती पंजाबू पत्नी लोभी राम, गांव मौड़ा, 12. श्रीमती गीता पत्नी हुश्यारू, गांव तेलका, 13. श्रीमती पानो पत्नी प्रेमु, गांव तेलका, 14. बलदेव पुत्र रुपनी, गांव गदर, 15. श्रीमती चुहडी पत्नी धोबा, गांव असमाला, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा।

उपरोक्त फ्रिकेन को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री चमारू पुत्र श्री घेपा, निवासी गांव असमाला, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा द्वारा इस अदालत में महाल थलोगा, पटवार वृत्त सालवा में स्थित भूमि खाता/खतौनी नं0 70/84, कित्ता 5, रकबा 13-16-00 बीघा भूमि को अन्य हिस्सादारान के साथ मुश्तरका तौर पर कागजात माल में दर्ज है की तकसीम हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दावा दायर कर रखा है। उपरोक्त फ्रिकेन में वादी द्वारा दर्शाए गए पते पर बार-बार समन भेजने के बावजूद पेशी में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। जिसमें प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवादीगण को समन की तामिल सामान्य तरीके से होना संभव नहीं है। इसलिए इस कारण से मुकद्दमा तकसीम लम्बित चला आ रहा है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगण या अन्य कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध हो तो उसे अवगत किया जाता है कि वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-01-2025 को प्रातः ... बजे इस कार्यालय में हाजिर होकर तकसीम की पैरवी कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिजे समायत नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सुमित्रा पुत्री श्री मान सिंह, गांव कुटला, डा0 सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6673/2024, दिनांक 23-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15482, दिनांक 21-08-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) बी0पी0एल0 प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल, (8) राशन कार्ड जिसमें आवेदिका सुमित्रा पुत्री श्री मान सिंह, गांव कुटला, डा0 सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सुमित्रा पुत्री श्री मान सिंह, गांव कुटला, डा0 सिढकुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 21-08-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सुमित्रा पुत्री श्री मान सिंह, गांव कुटला, डा0 सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 15-12-1983 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सुमित्रा पुत्री श्री मान सिंह, गांव कुटला, डा0 सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती भाग देई पुत्री स्व० श्री हेम सिंह, गांव भनूई, डा० सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा
(हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6676/2024, दिनांक 23-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/23361, दिनांक 20-12-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) प्रधान रिपोर्ट, (6) आधार कार्ड जिसमें श्रीमती भाग देई पुत्री स्व० श्री हेम सिंह, गांव भनूई, डा० सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) के पिता श्री हेम सिंह पुत्र श्री कन्ठ, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका के पिता स्व० श्री हेम सिंह पुत्र श्री कन्ठ, ग्राम पंचायत सिढकुंड की मृत्यु तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि प्रधान रिपोर्ट व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-12-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि स्व० श्री हेम सिंह पुत्र श्री कन्ठ, ग्राम पंचायत सिढकुंड, परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 20-01-1997 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के पिता स्व० श्री हेम सिंह पुत्र श्री कन्ठ, ग्राम पंचायत सिढकुंड, परगना राजनगर की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव धरोट, डा० पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पुखरी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6714/2024, दिनांक 26-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/22662, दिनांक 10-12-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (8) राशन कार्ड जिसमें आवेदक मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव धरोट, डा0 पुखरी, ग्राम पंचायत पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव धरोट, डा0 पुखरी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 10-12-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव धरोट, डा0 पुखरी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 14-02-1964 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव धरोट, डा0 पुखरी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव पुखरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

रजनी देवी पुत्री श्री जय सिंह, गांव सीनू, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

प्रतिवाद्या।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6645/2024, दिनांक 20-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा

अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/23343, दिनांक 20-12-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) शिक्षा प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका रजनी देवी पुत्री श्री जय सिंह, गांव सीनू, डा0 चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका रजनी देवी पुत्री श्री जय सिंह, गांव सीनू, डा0 चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-12-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रजनी देवी पुत्री श्री जय सिंह, गांव सीनू, डा0 चकलू, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 25-04-1982 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका रजनी देवी पुत्री श्री जय सिंह, गांव सीनू, डा0 चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

ममता देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र, गांव पनसेरी, डा0 सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)
वादि्या।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुंड, विकास खण्ड चम्बा प्रतियादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 6644/2024, दिनांक 20-12-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/23342, दिनांक 20-12-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) शिक्षा प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका ममता देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र, गांव पनसेरी, डा0 सिढकुंड, ग्राम पंचायत सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) के बेटे भुवनेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका के बेटे भुवनेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र, गांव पनसेरी, डा0

सिढकुंड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 20-12-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भुवनेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र, गांव पनसेरी, डा0 सिढकुंड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 24-05-2010 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका के बेटे भुवनेश कुमार पुत्र श्री जोगिन्द्र, गांव पनसेरी, डा0 सिढकुंड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुंड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

रोमालो राम पुत्र श्री लीलो राम, निवासी गांव कुडेरा, डा0 घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम रोमालो राम है जोकि पी0पी0ओ0 व ग्राम पंचायत घटासनी के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुद्दाल कुडेरा में गलती से रुमालो दर्ज है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 05-02-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : दुरुस्ती जाति

पेशी : 23-01-2025

सुनील कुमार, मुनीश कुमार पुत्रान श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव व डा0 भनाला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जाति दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पूर्वजों की सही जाति चार्ज है जबकि राजस्व विभाग के रिकार्ड महाल भनाला में जाति ब्राह्मण चार्ज व उपजाति भारद्वाज है जो गलत इन्द्राज हुई है। प्रार्थी उक्त जाति व उपजाति को दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त जाति व उपजाति की दुरुस्ती सारे आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असागतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 23-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 28-01-2025

श्री सोनी कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी गांव झरेड़, डा0 योल झरेड़, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण—पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 05-05-1965 को गांव झरेड़, ग्राम पंचायत झरेड़, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत झरेड़ के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत झरेड़ के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 30-01-2025

श्रीमती अनिता शर्मा पुत्री श्री भुवनेशवर कुमार, निवासी गांव व डा0 रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 21-05-1968 को गांव व ग्राम पंचायत रैत, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रैत के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैत के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 30-01-2025

श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री सतव्रत शर्मा, निवासी गांव क्यारी, डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल क्यारी में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम उमेश शर्मा पुत्र सतव्रत शर्मा है जबकि महाल क्यारी के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम उमेश कुमार पुत्र श्री सतव्रत दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल क्यारी में उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा पुत्र श्री सतव्रत करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30-01-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 04-02-2025

श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री दीवान चन्द, निवासी गांव ठम्बा, डा0 दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित, 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका जन्म दिनांक 08-11-1957 को गांव ठम्बा, ग्राम पंचायत दरगेला, तहसील शाहपुर में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दरगेला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत दरगोला के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 04-02-2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 25/तह/2024

तारीख पेशी : 23-01-2025

सुमन कुमारी पुत्री श्री सुभाष चन्द, गांव सुदरेहड़, डा0 भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये विवाह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सुमन कुमारी पुत्री श्री सुभाष चन्द, गांव सुदरेहड़, डा0 भवारना, उप-तहसील भवारना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि उसका विवाह दिनांक 28-01-2003 को हिन्दू रिति-रिवाज के अनुसार मेरी शादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालक राम, गांव पन्ढेहड़, डा0 लोअर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत लोअर लम्वागांव में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-01-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार ग्राम पंचायत लोअर लम्वागांव को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14/तह/2024

किस्म मुकद्दमा : शादी पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-01-2025

श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी गांव व डाकघर कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी गांव वडाकघर कैलन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना मय हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि दिनांक 08-06-2023 को हिन्दू रीति-रिवाज से उनकी शादी Rebecca Chetri d/o Durga Bahadur, r/o Kichutin, House No. 192, P.O. Mokokchung, Distt. Mokokchung, Nagaland-798 601के Prachin Pashupatianth Nath Shiv Mandir (Regd.) M.DC, Sector-6, Panchkula Haryana में हुई है। वह तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावशं विवाह तिथि को संबन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत पपलाह में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-01-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित पंजीकार ग्राम पंचायत पपलाह को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17-12-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 74/तह/2024

किस्म : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-01-2025

श्री जीवन लाल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी गांव चौआ सरालपट, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री जीवन लाल पुत्र स्व० श्री धर्म सिंह, निवासी गांव चौआ सरालपट, डा० धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 18-02-1965 को गांव चौआ सरालपट, ग्राम पंचायत धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जीवन लाल के जन्म तिथि 18-02-1965 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-01-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 63/तह/2024

किस्म : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-01-2025

श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री स्व० श्री घसीटा राम, निवासी गांव सुधाला, डा० मझेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री स्व० श्री घसीटा राम, निवासी गांव सुधाला, डा० मझेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-07-1962 को गांव सुधाला, ग्राम पंचायत मझेड़ा, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत मझेड़ा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती उर्मिला देवी की जन्म तिथि 12-07-1962 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-01-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मझेड़ा को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 84 / तह / 2024

तारीख पेशी : 06-02-2025

श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री सिवरातु राम, गांव व डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री श्री सिवरातु राम, गांव व डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे भाई का जन्म दिनांक 05-05-1989 को गांव व डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ पत्र भी संलग्न किया है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने भाई के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मिलखी राम पुत्र श्री सिवरातु राम, गांव व डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-05-1989 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 06-02-2025 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02-01-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सत्या देवी पुत्री श्री दिलिया राम, निवासी गांव व डा0 भेट झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सत्या देवी पुत्री श्री दिलिया राम, निवासी गांव व डा0 भेट झिकली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 10-02-1953 को गांव भेट झिकली में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मीरा देवी पुत्री श्री धोगरू राम, निवासी गांव व डा0 वही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मीरा देवी पुत्री श्री धोगरू राम, निवासी गांव व डा0 वही, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 24-08-1966 को गांव वही में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

जगदीश चन्द पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव अप्पर भेट, डा0 भदरैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जगदीश चन्द पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव अप्पर भेट, डा0 भदरैणा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 14-10-1962 को गांव अप्पर भेट में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तृप्ता देवी पुत्री श्री चरन दास, निवासी गांव कुम्हारडा, डा0 हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

तृप्ता देवी पुत्री श्री चरन दास, निवासी गांव कुम्हारडा, डा0 हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 13-04-1966 को गांव कुम्हारडा, डा0 हरेड में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रेशम देवी पुत्री श्री चमेल सिंह, निवासी गांव डुहक, डा0 चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रेशम देवी पुत्री श्री चमेल सिंह, निवासी गांव डुहक, डा0 चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 20-02-1972 को गांव डुहक, डा0 चौबीन में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 20-02-2025

दिलवर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव करोट, डा0 उत्तराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके दिलो राम पुत्र श्री सेठ पुत्र श्री अदालती के बजाए दिलवर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री अदालती दर्ज करने बारे।

दिलवर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव करोट, डा0 उत्तराला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल करोट, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दिलो राम पुत्र श्री सेठ पुत्र श्री अदालती है। जबकि प्रार्थी का असल नाम दिलवर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री अदालती है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके दिलवर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह पुत्र श्री अदालती किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-02-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Vikas Shukla, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Ashima d/o Sh. Yob Raj, r/o Yog Raj Traders Manikaran Road, Near New Bridge Bhunter, P.O. and Tehsil Bhunter, District Kullu, Himachal Pradesh.

2. Sanam Nakhwal s/o Sh. Narinder Kumar, r/o House No. 1099, Ward No. 26, Maskhain Mohalla Hoshiarpur, Punjab.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Ashima and Sanam Nakhwal filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-10-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registred under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 02-02-2025. The objection received after 02-02-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 03-01-2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

VIKAS SHUKLA, HAS,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).*

—————
**Before the Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Sub-Tehsil, Tihra,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

Smt. Pramila Kumari w/o Sh. Praveen Kumar, resident of Village Chamyar, P.O. Tihra, Sub-Tehsil Tihra, District Mandi (H.P.) . . . *Applicant.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Subject.—Application for correction of name in Aadhar Card.

Whereas, Smt. Pramila Kumari w/o Sh. Praveen Kumar, resident of Village Chamyar, P.O. Tihra, Sub-Tehsil Tihra, District Mandi (H.P.) has applied for correction of her name as Pramila Kumari in Aadhar Card but the incharge, Aadhar centre has demanded copy of e-gazette notice for the same.

And, whereas an application alongwith supporting documents has been filed in this office with the request that the applicant correct name is Smt. Pramila Kumari and same is also mentioned in all documents but name mentioned as Smt. Pramila Devi in Aadhar Card which is incorrect and needs to be corrected as Pramila Kumari.

Hence, this proclamation is issued to the general public, if they have any objection/claim regarding correction of name of applicant in her aadhar card, may file their claims/objections in this office on or before fifteen days from the publication of this notice in Govt. Gazette, after that no objections/claims will entertain.

Issued today on 3rd January, 2025 under my signature and seal of this office.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,
Tihra, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Sh. Bhanu Gupta (H.P.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Ms. Geeta Devi d/o Ram Chand Sharma, r/o Rukri Kothi, Out House Near Machhi Vali Kothi Jakhoo, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Ms. Geeta Devi d/o Sh. Ram Chand Sharma, r/o Rukri Kothi, Out House Near Machhi Vali Kothi Jakhoo, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has preferred an application to the undersigned for registration of date of birth of herself namely GEETA DEVI (DOB-17-02-1982) at above address in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore through this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry of date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in official Gazette. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th January, 2025.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Surender Mohan Sub-Divisional Megistrate, Kumarsain,
District Shimla (H.P.)**

Smt. Surma w/o Sh. Maniya, r/o Village Kotla, P. O. Kotla, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

Application under section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 to enter the Date of Death Sh. Jitu s/o Late Sh. Daya Ram in record of the Registrar, Births & Deaths, Gram Panchayat Shalota.

Whereas Smt. Surma w/o Sh. Maniya, r/o Village Kotla, P. O. Kotla, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Registration of Births & Deaths Act, 1969 to enter the death of her father-in-law namely Sh. Jitu s/o Late Sh. Daya Ram, r/o Village Kotla, P.O. Kotla, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, (H.P.) in record of the Registrar, Births & Deaths-cum-Secretary, Gram Panchayat Shalota, Tehsil Kumarsain as under :—

Sl. No.	Name of deceased person	Relation of deceased person with applicant	Date of death
1.	Sh. Jitu, s/o Late Sh. Daya Ram	Father-in-law	28-10-2009

Hence, this proclamation is hereby issued to the general public and if they have any objection/claim with regard to entry of death of Sh. Jitu s/o Late Sh. Daya Ram in record of the Registrar, Births & Deaths-cum-Secretary, Gram Panchayat Shalota, Tehsil Kumarsain, District Shimla, then they may file their written objections/claims in this court on or before one month of publication of this proclamation in Government Gazette, failing which the necessary orders will be passed for entry of death.

Issued on 07th day of January, 2025 under my seal & signature.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Kumarsain, District Shimla (H.P.).

In the Court of Collector, Sub-Division Gagret, District Una, Himachal Pradesh

Appeal No. 192/M/2024/G

Date of Hearing : 22-01-2025

1. Smt. Surinder Kumari d/o Dasoundhi s/o Nihala Caste Rajput, r/o Village Bhadsali, Tehsil and Distt. Una H.P.

Versus

1. Kumar Singh, 2. Parveen Kumar sons of 3. Kiran Kumari, 4. Ramesh Kumari Ds/o 5. Bropti Devi w/o Late Sh. Dharam Singh s/o Fakir Chand, 6. Baldev Singh s/o Fakir Chand, 7. Kishan Dayal s/o Pohlo all resident of Village Mawa Sindhian (Lower), Tehsil Ghanari, Distt. Una H.P.

Proclamation in above titled redemption case under section 04 of H.P. Redemption of Mortgage Act, 1972.

Notice to respondents.

Whereas, it has been proved to the satisfaction of this court that the above said respondents could not be served in the ordinary way of service. Hence, the proclamation u/o 5 rule 20 CPC is hereby issued against them and they are directed to appear personally or through their authorized agent/counsel on dated 22-01-2025 at 2.00 P.M. sharp, failing which *ex-parte* proceedings shall be given under my hand and seal of this court on the 23rd day of December, 2024.

Seal.

Sd/-
Collector,
Sub-Division Gagret,
Distt. Una H.P.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 14th January, 2025

No. PWD-(B)-F0(5)/9/2024.—In continuation to this Department Notification of even number dated 03-01-2025 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "Jaijon Modh to Tahliwal Chowk via Bhai Ka Modh at Saloh Road" in District Una, H.P. having length of 17.500 km. as Major District Road No. 129 at Sr. No. 120.

Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 4912.230 kms.

By order,

Sd/-
Secretary (PW).

CHANGE OF NAME

I, Nitika Tyagi w/o Sh. Ashok Kumar and d/o Sh. Parmanand, r/o Sood Apartment, Below Mahunag Hardware, BCS, Vijay Nagar, Shimla (H.P.)-171 009 declare that I have changed my name from Nitika to Nitika Tyagi. All concerned please may note.

NITIKA TYAGI

*w/o Sh. Ashok Kumar and d/o Sh. Parmanand,
r/o Sood Apartment, Below Mahunag Hardware, BCS,
Vijay Nagar, Shimla (H.P.)-171 009.*